Punjab Government Gazette

Published by Authority

No. 12] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 20, 2026 (PHALGUNA 29, 1947 SAKA)

PART II

Statutory Notifications and Republications from Gazette of India/Punjab

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/PB-LS/03/2024/CEMS-I **Dated:** 9th March, 2026 / 18 Phalguna, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024(7)**, dated **7th May, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 04.07.2024 of **DEO, Tarn Taran** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated 22.07.2024 stating that **Sh. Parminder Singh**, a contesting candidate from **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/PB-LS/3/2024/CEMS-I, dated 31st January, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Parminder Singh**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Parminder Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Tarn Taran** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Tarn Taran** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Amritpal Kaur (Wife of Sh. Parminder Singh)** on **07.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Tarn Taran** in his Supplementary Report, received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2025/R-1601, dated 07.04.2025 has reported that **Sh. Parminder Singh** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Parminder Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Parminder Singh** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Parminder Singh**, resident of **Near Nirankari Bhawan, Samadhi road, Zira** and a contesting candidate from **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

Sd/-
(RAKESH KUMAR)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

सं. 76/पंजा0.-लो.स./03/2024/सीईएमएस-I दिनांक: 9 मार्च, 2026
18 फालगुन, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, **03-खडूर साहिब** के लिए साधारण निर्वाचन,2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, पंजाब के **03-खडूर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, **मुख्य निर्वाचन** अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** की दिनांक 04.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री परमिंदर सिंह**, जो पंजाब के **03-खडूर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री परमिंदर सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/3/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 31.01.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री परमिंदर सिंह** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **सुश्री अमरितपाल कौर (श्री परमिंदर सिंह की पत्नी)** को दिनांक 07.02.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 07.04.2025 के पत्र सं. Elec-2024/R-1601, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि **श्री परमिंदर सिंह** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, **श्री परमिंदर सिंह** द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है ,दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री परमिंदर सिंह** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि पंजाब के 03-**खडूर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री परमिंदर सिंह**, निवासी- **निरंकारी भवन के पास, समाधि रोड, जीरा**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

हस्ताक्षर
(राकेश कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

3664/3-2026/Pb. Govt. Press, S.A.S. Nagar

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/PB-LS/03/2024/CEMS-I **Dated:** 9th March, 2026 / 18 Phalguna, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024(7)**, dated **7th May, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 04.07.2024 of **DEO, Tarn Taran** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated 22.07.2024 stating that **Sh. Sarabjit Singh**, a contesting candidate from **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/PB-LS/3/2024/CEMS-I, dated 31st January, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sarabjit Singh**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sarabjit Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Tarn Taran** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Tarn Taran** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Smt. Jasbir Kaur (Mother of Sh. Sarabjit Singh)** on **21.11.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Tarn Taran** in his Supplementary Report, received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2026/R-1265, dated 17.02.2026 has reported that **Sh. Sarabjit Singh** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sarabjit Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sarabjit Singh** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sarabjit Singh**, resident of **Ward No. 8, Gaushala Road, Near Kaushal Farm, Zira** and a contesting candidate from **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

Sd/-
(RAKESH KUMAR)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

सं. 76/पंजा0.-लो.स./03/2024/सीईएमएस-I दिनांक: 9 मार्च, 2026
18 फालगुन, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, **03-खडूर साहिब** के लिए साधारण निर्वाचन,2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, पंजाब के **03-खडूर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** की दिनांक 04.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री सरबजीत सिंह**, जो पंजाब के **03-खडूर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री सरबजीत सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/3/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 31.01.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री सरबजीत सिंह** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **सुश्री जसबीर कौर (श्री सरबजीत सिंह की मां)** को दिनांक 21.11.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 17.02.2026 के पत्र सं. Elec-2026/R-1265, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **तरन तारन** की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि **श्री सरबजीत सिंह** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, **श्री सरबजीत सिंह** द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है ,दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सरबजीत सिंह** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि पंजाब के 03-**खडूर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री सरबजीत सिंह**, निवासी- वार्ड नं. 8, **गौशाला रोड, कौशल फार्म के पास**, जीरा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

हस्ताक्षर
(राकेश कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

3664/3-2026/Pb. Govt. Press, S.A.S. Nagar